UPJB010035822026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अमरोहा

पीठासीन अधिकारी– विवेक (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{JOCODE–UP2012}

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–938/2026

रोबिन पुत्र श्री सतवीर सिंह आयु करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम चौहड़पुर बगद, पोस्ट व थाना बछरायूँ, जिला अमरोहा। .....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

एवं

UPJB010035832026

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–939/2026

अंकुल कुमार आयु करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम मादनखेड़ा, पोस्ट मुण्डा खेड़ा, थाना नौगावां सादात, जिला अमरोहा। .....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–364/2025
धारा – 191(2),115(2),109 व 324(4)
भारतीय न्याय संहिता,
थाना –मण्डी धनौरा, जिला अमरोहा।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण

दिनांकः 10.06.2026

उपरोक्त प्रकरण में आरोपपत्र प्रेषित होने के उपरान्त आवेदक /अभियुक्तगण **रोबिन व अंकुल कुमार** की ओर से अग्रिम जमानत हेतु पृथक–पृथक अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किये गये हैं। आवेदक अंकुल कुमार का यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है तथा उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 30.09.2025 को इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

02. उपरोक्त दोनों अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एक ही अपराध से सम्बन्धित होने के कारण इनको एक ही आदेश के द्वारा निर्णीत किया जाना उपयुक्त है।

03. संक्षेप में अभियोजन केस के अनुसार दिनांक 04.09.2025 को वादी मुकदमा **सत्यम** के द्वारा थाना मण्डी धनौरा में प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि दिनांक 04.09.2025 को उसके भाई शिवम भाटी घर से मौहल्ला महादेव हीरा नगर में दुष्यन्त पुत्र मंगराम की जिम पर गया था। उसका भाई जिम के बाहर खड़ा था तो समय करीब 04:30 बजे शाम को प्रशान्त, रचित सिरोही, दिशू शर्मा, अंकित व दो–तीन अज्ञात व्यक्ति लाठी डण्डे व धारदार हथियार लेकर आये और जान से मारने की नियत से उसके भाई पर हमला कर दिया। उसके भाई शिवम भाटी के दोस्त दुष्यन्त ने उसे घटना के बारे में बताया। इन्होंने वहां से गुजर रहे रोहित पुत्र राकेश का मोबाईल भी लेकर तोड़ दिया।

Digitally signed by VIVEK AGGARWAL
Date: 2026.06.10 15:08:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

04. आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना गया तथा सम्बन्धित केस डायरी का सम्यक परिशीलन किया गया।

05. आवेदक/अभियुक्त रोबिन के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किये गये कि वह निर्दोष है। झूठा मुल्जिम बनाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन नं0–27931/2025 में पारित आदेश दिनांकित 04.12.2025 के द्वारा आरोपपत्र दाखिल होने तक उसे गिरफतारी से अभिमुक्ति दी गयी थी। मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। उसका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है और विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वादी राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है और उसने राजनैतिक पहुंचक के दम पर धारा 109 भारतीय न्याय संहिता में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी, जबकि मामला अभियोजन कथानक के अनुसार 115(2) भारतीय न्याय संहिता का बनता है। अभियोजन सारांश एवं चिकित्सीय परीक्षण एक–दूसरे को समपुष्ट नहीं कर रहे हैं। अभियोजन कथनानुसार सी.एच.सी. धनौरा के मेडिकल में मजरूब शुभम भाटी के सिर के पिछले हिस्से में चोट लगना बताया गया है, लेकिन फ्रेक्चर फ्रन्टल साईनस की अग्र दीवार में आता है, जो कि सम्भव नहीं है। पूरक चिकित्सीय आख्या में चोट न०–02 को गम्भीर चोट दर्शाया गया है, जो असंभव है। प्राथमिकी में दो–तीन व्यक्ति अज्ञात बताये गये है, लेकिन अभियोजन द्वारा चार व्यक्तियों को अज्ञात में मुल्जिम बनाया गया है। अभियोजन द्वारा प्राथमिकी में लाठी–डण्डों से मारना बताया गया है, इस कारण भी धारा 109 भारतीय न्याय संहिता का अपराध नहीं बनता है। सह–अभियुक्तगण अंकित व प्रशान्त की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। अतः अग्रिम जमानत की याचना की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त अंकुल कुमार के विद्वान अधिवक्ता की ओर से आवेदक रोबिन के उपरोक्त तर्कों के समान ही तर्क रखे गये हैं तथा यह भी तर्क रखा गया कि उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2025 को निरस्त किये जाने के उपरान्त उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन योजित किया गया, जिसमें पारित आदेश दिनांकित 11.11.2025 का उसके द्वारा पूर्ण पालन किया गया तथा विवेचना में सहयोग किया गया है। वह अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः अग्रिम जमानत की याचना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्रों का सख्त विरोध करते हुये आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

06. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से यह दर्शित है कि मामले की घटना दिनांक 04.09.2025 की समय करीब 04:30 बजे शाम की है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन समय 22:00 बजे दर्ज करायी गयी है। अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई शिवम भाटी पर जान से मारने की नियत से लाठी–डण्डे व धारदार हथियारों से हमला करने का आरोप है।

केस डायरी में संलग्न चोटिल शिवम भाटी की चिकित्सीय परीक्षण आख्या दिनांकित 04.09.2025 के अनुसार उसके शरीर पर कुल 06 चोटें पायी गयी हैं, जिनमें चोटे नं० 2 फटा हुआ घाव सिर के पीछे की ओर बताया गया है तथा एक्स–रे की सलाह दी गयी है। चोट नं० 1 व 3 फटे हुए घाव की सिर पर, चोट नं० 4 व 6 लाल रंगड़युक्त घाव की टांग व कलाई पर एवं चोट नं० 5 लाल नीलगू की कोहनी पर आना अंकित किया गया है। चोट नं० 1,3,4 व 6 को साधारण प्रकृति का बताया गया है तथा चोट नं० 2 व 5 को जेरे निगरानी रखा गया है एवं उक्त सभी चोटों को ताजा होना बताया गया है।

चोटिल शिवम भाटी की पूरक आख्या के अनुसार उक्त चोट नं० 2 उसकी फ्रन्टल सिनस में सामने फ्रैक्चर आना अंकित किया है, जिसे गम्भीर प्रकृति का होना बताया है। आवेदकगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। दौरान विवेचना केस डायरी के पर्चा सं० 5 में दिनांक 10.09.2025 को चोटिल शिवम भाटी के धारा 180 बी.एन.एस.एस. के कथन में आवेदकगण के नाम प्रकाश में आये हैं तथा उन्हें घटना में शामिल होना बताया गया है। मामले में विवेचना के उपरान्त आवेदकगण व दो अन्य सह–अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदकगण को झूठा फंसाया जाना दर्शित नहीं होता है।

मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व आवेदक की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदकगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अत: आवेदकगण के उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **रोबिन व अंकुल कुमार** के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किये जाते हैं।

इस आदेश की प्रति अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–939/2026 पर रखी जाये।

दिनांक–10.06.2026

(विवेक)
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा

टाईपकर्ताः आनन्द प्रकाश, आशुलिपिक